न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—संजय गोयल — आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 57/2013

मोहन सिंह पुत्र श्री रामरतन जाति जाट निवासी नगला नाऊ (नगला सीखम) तहसील व जिला भरतपुर ....वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह
2. बलवीर सिंह
3. जयदेव सिंह

पिसरान रामसरन जाति जाटान निवासीयान नगला नाऊ(नगला सीखम) तह0 व जिला भरतपुर

............................असल प्रतिवादीगण

4. महेश चन्द पुत्र मोहन सिंह
5. राजवती पत्नी मोहन सिंह

जाति जाट निवासी नगला नाऊ (नगला सीखम)तह. व जिला भरतपुर

6. राज्य सरकार जरिए पैरोकार तहसीलदार भरतपुर

..................तरतीवी प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 12—06—2019

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के कब्जे काश्त व

हकूक खातेदारी के आराजी खसरा नंबरान 608/0.54, 604/0.12 वाके ग्राम बहनेरा तह0 व जिला भरतपुर में स्थित है। वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नंबरान 185/0.23, 189/0.26, 203/0.41, 208/0.17, 109/0.22, 110/0.20, 112/0.34, 190/0.17, 207/0.22, 96/0.16, 97/0.43 कुल संख्या 2.54 हैक्टेयर वाके ग्राम नगला सीखम तहसील भरतपुर में स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

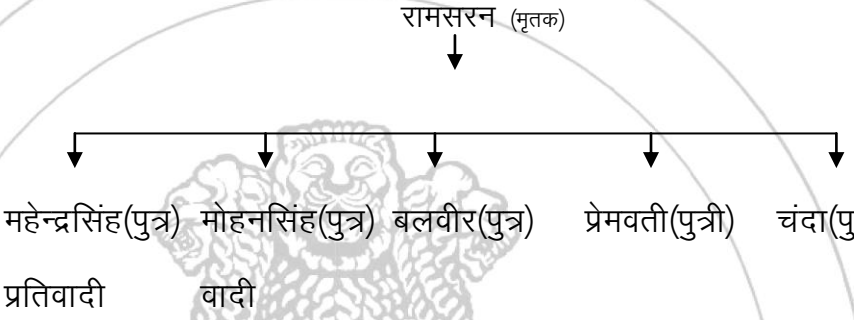

दावा में वर्णित समस्त भूमि पैतृक है। दिनांक 20.05.2006 को वहिस्सा बराबर वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिनें हक त्याग कर गई हैं।

प्रतिवादी सं. 2 बलवीर द्वारा अपना अन्य रकबा राजेश व अन्य को विक्रय कर दिया है तथा निस्फ खसरा नंबर 608/0.54 एयर वाके बहनेरा भरतपुर का विक्रय महेशचंद व गोविंदसिंह को वहिस्सा बराबर विक्रय कर दिया था। इसी कारण प्रतिवादी सं. 4 को तथा गोविन्दसिंह नाबालिग की मृत्यु उपरांत उनकी नैसर्गिक बली माता राजवती को फरीक मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 4,5 निस्फ हिस्सा के खातेदार कृषक नियत है। इनसे कोई दादरसी नहीं चाही गई है।

वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 के बीच पिताजी के जीते जी 30 वर्ष पूर्व मनबट कर वाके ग्राम बहनेरा, नगला सीखम की आराजी का विभाजन कर लिया गया था। वादी व

प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के बीच करीब 80–80 एयर रकबा पुराने 5–5 बीघा करीब रकबा समस्त खाते में आना था।

वाके ग्राम नगला सीखम वाद पत्र में वर्णित मद सं0 3 की समस्त आराजीयात का पटवारी हलका द्वारा कुरेजात करवा कर तहसीलदार तहसील भरतपुर द्वारा दिनांक 20.06. 2007 को विभाजन कर खाता अलग–अलग प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने करवा लिया था। उन सभी को 5–5 बीघा करीबन 80–80 एयर रकबा मिल चुका था। ग्राम बहनेरा का खसरा नंबर 608/0.54 के निस्फ हिस्सा का वादी का कब्जा व काश्त होने से वादी के कुरे में लगा दिया गया था। उस वक्त बहनेरा ग्राम का कुरा नहीं हुआ था। प्रतिवादीगण द्वारा यह कह दिया गया था कि निस्फ हिस्सा उक्त से 0.27 एयर रकबा का रजामन्दी व हक त्याग द्वारा वादी के नाम खातेदारी करा देंगे। वादी को ग्राम नगला सीखम में खसरा नंबरा 96/0.16, 97/0.43 किता 2 रकबा 0.59 एयर ही बंटवारे में मिल पाया था। इसी कारण खसरा नंबर 608 की खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है। वादी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के मुकाबले करीबन 0.27 कम खातेदारी में मिला था। खसरा नंबर 604/0.12 वाके बहनेरा से वादी व प्रतिवादीगण के बीच कमी – वेशी पूरी तय करवाना तय था। वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के समूल खाते में है।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वाके ग्राम नगला सीखम तह0 भरतपुर की आराजी का विभाजन व हिस्सा बराबर नहीं कराते हैं तो ना.सं. 147 न्यायालय आदेश दिनांक 12.06.2007 वादी के प्रति वातिल व बेअसर है तथा राजस्व रिकार्ड में कलमजन करा पाने का अधिकारी है। पूर्व जैसी स्थिति करा पाने का अधिकारी है। वादी को रकबा पूरे मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादी खसरा नंबर 608/0.54 वाके ग्राम बहनेरा तहसील भरतपुर के निस्फ हिस्सा पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी, प्रतिवादीगण को चिरस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि लट्ठ के बल पर वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत बेजा नहीं करें, रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करें, ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, वादी को अजीम नुकसान उठाना पड़े।

वादी ने दिनांक 10.05.2013 को प्रतिवादीगण से अपने हक में खेत को कराने की कहा तो टालमटोल कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 3 ने धमकी दी कि मैं खेत नाम नहीं करता हूँ, तुम पर हो जो करो।

इस प्रकार वादी द्वारा दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी को वाके ग्राम बहनेरा तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 608/0.57 के निस्फ भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । तथा वादी प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी के आदेश से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वे वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत बेजां नहीं करें, जोतने–बोने से नहीं रोकें। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमावंदी सं0 2067–2070 ग्राम बहनेरा एवं जमावंदी संवत 2068–2071 व 2060–2063 नगलर सीखम तथा रिलीजडीड की छाया प्रति पेश की हैं ।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलव किया । प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5दिनांक 18.06. 2013 को जरिये अभिभाषक उपस्थिति आये एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक संलग्न पत्रावली है। दिनाक 19.09.2013 को प्रतिवादी सं0 3 भी जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए । प्रतिवादी सं0 3,4,5 को बार बार जबाब हेतु अवसर देने के बाद भी जबाव न देने पर इनका दिनांक 23.09.2016 को जबाव बंद किया गया ।प्रतिवादी सं06 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई । साक्ष्य वादी मे

गवाह मोहनसिंह व राजाराम के शपथ पत्र पेश हुए । अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई ।

पत्रावली पर वादी के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई । अभिभाषक द्वारा पत्रावली में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए राजीनामा के आधार पर दावा वादी स्वीकार करने कस अनुरोध अपनी बहस में किया गया है ।

हमने अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवेजी अभिलेख व राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन पर वादी द्वारा वाद पत्र मूल रूप से वाके ग्राम बहनेरा स्थित खसरा नंबर 608/0.57 के निस्फ भाग पर वादी वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु पेश किया है। जिसका आधार वादी ने यह लिखा है कि पूर्व में ग्राम नगला सीखम स्थित आराजी का विभाजन हुआ था और कुरे में वादी को 27 एयर रकबा कम दिया गया था। जिसकी पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण द्वारा 27 एयर रकबा ग्राम बहनेरा स्थित आराजी खसरा नंबर 608/0.54 में से देने के लिए कह दिया था कि रजामंदी व हकत्याग द्वारा 27 एयर रकबा को वादी की खातेदारी में करा देंगे। वादी के उपरोक्त तथ्यों की बावत पत्रावली पर गौर किया तो यह पाया गया कि वादी द्वारा न तो पूर्व में हुए विभाजन की कोई नकल पत्रावली में पेश की है और न ही खसरा नंबर 608/0.54 में से 27 एयर रकबा दिये जाने की कोई लिखित साक्ष्य वादी द्वारा पेश की गई है, जिससे वादी के तथ्यों की पुष्टि साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। दावा वादी द्वारा पेश किया गया है जिसे साबित करने की जिम्मेदारी भी वादी की है। वादी द्वारा वाद पत्र को सिद्ध करने हेतु कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है।

दौराने बहस वादी द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 18.06.2013 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादी के हक में

खसरा नंबर 608 की बावत राजीनामा पेश कर दिया है जो शामिल पत्रावली है। इस आधार पर भी दावा वादी डिक्री की जावे। न्यायालय द्वारा राजीनामा दि0 18.06.2013 का अवलोकन किया तथा खसरा नंबर 608 के राजस्व रिकार्ड का भी अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2067–2070 में खसरा नंबर 608/0.54 पर महेशचंद, गोविंदसिंह पिसरान मोहनसिंह वहिस्सा बराबर 1/2, महेंद्रसिंह, बलवीर सिंह, मोहन सिंह, जयदेवसिंह पिसरान रामशरन हिस्सा बराबर 1/2 के इन्द्राज दर्ज हैं। राजीनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजीनामा वादी मोहनसिंह व प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः महेन्द्रसिंह व बलवीरसिंह के मध्य होकर तस्दीक हुआ है। उक्त राजीनामा में जयदेवसिंह व अन्य सह खातेदार महेशचंद व गोविंदसिंह पक्षकार नहीं हैं। जबकि उक्त रकबा में गोविंदसिंह और जयदेवसिंह के पूर्ण खातेदारी अधिकार निहित हैं, जिनकी बावत स्वयं गोविंदसिंह व जयदेव सिंह ही राजीनामा कर सकते हैं। इनकी बावत प्रतिवादी सं. 1, 2 को उक्त आराजी के संपूर्ण हिस्से पर राजीनामा देने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक राजीनामा की वैधानिकता का प्रश्न है तो राजीनामा से यह स्पष्ट हो जाता है कि खसरा नंबर 608/0.54 में 27 एयर रकबा का हस्तांतरण वादी के पक्ष में किया जा रहा है जो कि सम्पत्ति हस्तांतरण की परिभाषा में आता है। राजीनामा के माध्यम से आराजी का हस्तांतरण किया जाना न्यायोचित नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त आराजी की बावत पूर्व में कोई विभाजन का दावा डिक्री हुआ जिससे कुरा में वादी को 27 एयर रकबा कम प्राप्त हुआ तो उसे उक्त कथित डिक्री की अपील सक्षम न्यायालय में करनी चाहिए थी। इसी प्रकार उक्त डिक्री का नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है तो नामान्तरकरण की भी सक्षम न्यायालय में अपील की जा सकती थी। हस्तगत वाद पत्र के माध्यम से वादी खसरा नंबर 608/0.54 में से 27 एयर पर न्यारानूर खातेदारी अधिकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार दावा वादी सिद्ध नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official